कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

सेवा में,

1. कार्यपालक पदाधिकारी
   नगर पंचायत, अमरपुर
   जिला– बांका
2. जिला शिक्षा पदाधिकारी,
   जिला– बांका

SS (U.D.M)

27 FEB 2019
प्राप्ति तिथि

महाशय,

नगर पंचायत, अमरपुर के वर्ष 2016–17 से 2017–18 तक के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 59 / 18–19 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन के अपने कार्यालय से संबंधित कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 4 सप्ताह के अन्दर पूर्ववर्ती निरीक्षण प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

28 FEB 2019
2546

भवदीय,

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14763/256 दिनांक– 21.02.19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना
3. जिलाधिकारी, बांका

21/02/19
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना
निरीक्षण प्रतिवेदन सं.– 59/18–19

भाग–I
प्रस्तावना

1	निरीक्षित कार्यालय का नाम:	**नगर पंचायत अमरपुर, बांका**
2	कार्यालय प्रधान का नाम एवं पदनाम:	श्री रविशंकर सिंह कार्यपालक पदाधिकारी
3	लेखा की अवधि:	2016–17 से 2017–18
4	लेखापरीक्षा की अवधि:	07.12.18 से 13.12.18
5	लेखापरीक्षा दल के सदस्य:	श्री अरविंद कुमार सिंह, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी श्री निखिल कुमार गौतम, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी श्री पवन कुमार, लेखा परीक्षक
6	निरिक्षण अधिकारी का नाम	श्री विनोद कुमार 3, वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
7	लेखापरीक्षा का क्षेत्र:	माह नवम्बर 17 की नमूना जांच की गयी।
	लेखा परीक्षा टिप्पणी	जिन आपत्तियों का निष्पादन निरीक्षण स्थल में नहीं हो सका उन्हें इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।
8	पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन में लंबित कंडिकाओं की वर्तमान स्थिति	अनुपलब्ध
9	क्या कार्यालय प्रधान से विचार विमर्श किया गया था?	हॉ

दावा अस्वीकरण प्रमाण पत्र

DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन–नगर पंचायत अमरपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय प्रधान महालेखाकार, लेखा परीक्षा, विहार पटना निरीक्षित ईकाई के द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

भाग–II (क)

शून्य

भाग–II (ख)

कंडिका –1 टैबलेट रिचार्ज पर अनियमित भुगतान रू 52969

नगर विकास एवं आवास विभाग के ज्ञापांक सं0 4(न)क–01/2005 862 दिनांक 21.02.08 के अनुसार सभी नगर निकाय के कार्यपालक अधिकारी को नगर निकायों द्वारा वित्तीय स्थिति में सुधार लानें के संबंध में पत्र निर्गत किया गया है। ज्ञापांक के कमांक सं0 06 के अनुसार मोबाईल फोन के प्रतिपूर्ति हेतु अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को 500 रू प्रतिमाह एवं कार्यपालक पदाधिकारी को प्रतिमाह 300 रू का प्रावधान किया गया है।

नगर पंचायत अमरपुर के टैबलेट रिचार्ज के संचिका के अवलोकन में ज्ञात हुआ कि नगर पंचायत द्वारा अध्यक्ष तथा उपाअध्यक्ष एवं कार्यपालक पदाधिकारी के अलावा अन्य वार्ड पार्षदों को टैबलेट रिचार्ज का भुगतान अगस्त 2017 से किया जा रहा है। भुगतान से संबंधित विवरणी निम्न है,

क्रम सं0	मह	भुगतान की गई राशि	अनुमत्य भुगतेय राशि	अधिक/अनियमित भुगतान की राशि	अभियुक्ति
01	अगस्त 17 एवं सितम्बर 17	13750	2600	11150	
02.	अक्टुबर 17	9149	1300	7849	
03	नवम्बर 17	8750	1300	7450	
04.	दिसम्बर 17	9149	1300	7849	
05	जनवरी 18 एवं फरवरी 18	18298	2600	15698	
06	मार्च,अप्रैल,एवं मई 18	5187	3900	1287	
07	मई ,जून एवं जुलाई 18	5586	3900	1686	
		69869	16900	52969	

अंकेक्षण टिप्पणीः–

01. नगर विकास एवं आवास विभाग के उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना कर नगर पंचायत अमरपुर द्वारा रू 52969 का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया। उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना कर भुगतान किये जाने के कारणों से लेखा परीक्षा को अवगत कराने को कहा गया।
02. उक्त भुगतान अमित मोबाईल सेन्टर अमरपुर को किया गया है। भुगतान किये गये राशि का अभिश्रव लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

जवाब में बताया गया कि बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव के आलोक में न.वि.एवं.आ0वि0 के निदेश के अतिरिक्त सदस्यों को टेबलेट रिचार्ज की राशि का भुगतान किया जा रहा था पुनः कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा निर्देश के अनुरूप रिचार्ज की राशि का भुगतान कार्य0 पदा0, मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद को भुगतान किया जा रहा है ।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि सरकार के दिशा– निर्देशों के विपरीत रू 52969 का अनियमित भुगतान किया गया।

कंडिका –02 एल0ई0डी0 लाईट के क्रय में अनियमितता रू 4.01 लाख

नगर पंचायत अमरपुर के एल0ई0डी0 लाईट के खरीद के संचिका के अवलोकन में पाया गया कि सामान्य बैठक दिनांक 30.08.17 के प्रस्ताव सं0 01 के द्वारा नगर पंचायत अमरपुर क्षेत्रान्तर्गत 14 वार्डों में 40–40 एल0ई0डी0 बल्ब लगाने का प्रस्ताव` पारित किया गया ।

तीन कोटेशन ओम ट्रेडर्स अमरपुर,ज्योति इन्टरप्राइजेज अमरपुर एवं गणेश इलेक्ट्रीकल भागलपुर का प्राप्त हुआ है। इस प्रकार तीनों कोटेशन दाताओं मे से ओम ट्रेडर्स अमरपुर का दर सबसे न्यूनतम होने के कारण इसका चयन किया गया। भुगतान का विवरण निम्न है।

क्रम सं0	दिनांक	चेक सं0	राशि	अभ्युक्ति
01	12.10.17	348394	401511	पंचम राज्य वित आयोग

अंकेक्षण टिप्पणी–

01. बिहार वित्त नियमावली के नियम 131 (I) के अनुसार 25 लाख तक के सामानों की खरीदारी के लिए **Limited tender Enquiry** प्रकिया को अपनाना चाहिए जिसके तहत जिस सामान की आवश्यकता है उसके रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्ता को कार्यालय के द्वारा स्वयं रजिस्टर्ड पत्र द्वारा संपर्क साधा जा सकता है या दैनिक सामाचार पत्र जो ज्यादा प्रचलन मे हो उसमें निविदा निकाला जा सकता है या **web based wide publicity** की जानी चाहिए। नगर पंचायत कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये संचिका के अनुसार निविदा दरें आमंत्रित किये जाने का साक्ष्य संचिका में संलग्न नहीं पाया गया गया।
02. बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार आपूर्तिकर्ताओं का कोटशन बन्द लिफाफे में आना चाहिए। परन्तु संचिका में उपरोक्त तीनों कोटशनों में से किसी मे भी लिफाफा संलग्न नहीं पाया गया।
03. अधिकृत बिक्रेताओं आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दिये गये कोटेशन के साथ अधिकृत विक्रेता प्रमाणपत्र किसी भी कोटेशन के साथ नहीं था।
04. आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति के लिए कैशमेमो/बिल जमा नहीं किया गया था। बिल जमा किये बिना ही राशि रू 401511 का भुगतान किया गया ।

जवाब में बताया गया कि एल0ई0डी0 लाईट खरीद से संबंधित संचिका की जांच की जायेगी एवं संबंधित व्यक्तियों से पृच्छा की जायेगी। जवाब के आलोक में सूचना दी जायेगीं। कृत कार्रवाई से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय।

कंडिका –03 योजना में अनियमितता/अनियमित भुगतान रू 3.49 लाख

योजना सं0 – 25/2016–17 (आंतरिक संसाधन)
योजना का नाम :–वार्ड सं0 में आंगनबाड़ी केन्द्र से प्र0वि0 पदाधिकारी के आवास तक पी0सी0सी0 कार्य।

प्रा0 राशि	:– 747500.00
मापी राशि	:– 747496.00
अभिकर्ता का नाम	:– श्री ओम प्रकाश मंडल(कनीय अभि0)
भुगतान की विवरण	:– अभिश्रव –710466
	मस्टर रॉल – 37030

मापी की अंतिम तिथि :– 04.03.17
तकनीकी स्वीकृति :– कार्यपालक अभि0 20.07.17
कार्यादेशः– 25.02.17 नगर कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत अमरपुर

अंकेक्षण टिप्पणी :–

01. योजना से सबंधित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि योजना की तकनीकी स्वीकृति कार्यपालक अभियंता द्वारा दिनांक 20.07.17 द्वारा दी गई थी तकनीकी स्वीकृति देने के पूर्व ही दिनांक 25. 02.17 को कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया। मापी पुस्तं के अनुसार योजना 04.03.17 को पूर्ण हो गया। इस संबंध में लेखा परीक्षा में स्थिति स्पष्ट नहीं किया गया।

02. तकनीकी मार्गदर्शिका के अनुसार सड़क निर्माण के पी0सी0सी0 कार्य में मिक्सचर 1:1.5:3 गणितीय ऑकड़े के अनुसार 50 किलोग्राम अथवा एक बैग सीमेंट में 0.052 क्यूबिक मीटर बालू का प्रयोग किया जाता है तथा स्टोन चिप्स ठीक बालू के दुगुना प्रयुक्त होता है। इस योजना के अंतर्गत एम0बी0 के अवलोकन में 101.80 क्यूबिक मीटर पी0सी0सी0 का कार्य किया गया था। एम0बी0 के अनुसार चिप्स प्रयुक्त किया गया चिप्स की मात्रा 87.44 क्यूबिक मीटर है। बालू की मात्रा तकनीकी मार्गदर्शिका के अनुसार 43.72 क्यूबिक मीटर तथा सीमेंट की मात्रा 43.72/0.052: 841 बैगस प्रावधित है। परंतु अभिश्रव के अवलोकन के अनुसार पता चला कि 858 बैग्स सीमेंट का क्रय किया गया। इस प्रकार 17 बैग्स सीमेंट का अधिक क्रय किया गया अतः 312x17= 5304 का अभिकर्ता को अधिक भुगतान किया गया।

03.

वैट की कम कटौती रू 29637

अभिलेख की जॉच में पाया गया कि वैट के मद में कम कटौती की गई जिसका विवरण निम्न है–

क्रम सं0	सामग्री का नाम	मूल्य	वैट की दर	राशि
01	ईंट	94387	5 %	4719
02	सीमेंट	267696	13.5%	36139
03	बालू	55600	5%	2780
04	स्टोन चिप्स	173147	13.5%	23374
			कुल	67012
			कटौती की राशि	37375
			कम कटौती	29637

वैट मद में कुल रू 29637 की कम कटौती की गई इसका कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया।

03. ढुलाई पर अनियमित भुगतानः– Building Construction Department, Bihar, Road Construction Department, Bihar, एवं अन्य विभागों के द्वारा तैयार किए जाने वाले अनुसुचित दर से स्पष्ट है कि ढुलाई का भुगतान सामग्री की कार्य स्थल से दूरी (Lead) एवं मात्रा/वजन के आधार पर तय किया जाता है। पर मापी पुस्तिका के अवलोकन में पाया गया कि स्टोन चिप्स एवं बालू पर ढुलाई पर क्रमशः रू 148835, 46041 रू पर कुल 194876 रू पर व्यय किया गया है लेकिन अभिश्रव के अवलोकन में पाया गया किया सामग्री का क्रय स्थानीय बाजार से किया गया था।

04 बिहार सरकार की विभागीय अधिसूचना सं. 873 दिनांक 6 मई 1977 एवं 1956 दिनांक 10 जून 1980 के अनुसार आपातकालीन परिस्थितियों यथा– बाढ़, भूकम्प इत्यादि को छोड़कर हस्त रसीद पर भुगतान नहीं किया जाना है। संचिका में संलग्न अभिश्रवों में पाया गया कि कुल रू0 119636.00 का भुगतान हस्त रसीद पर किया गया था। हस्त रसीद पर भुगतान किन परिस्थितियों में किया गया, यह संचिका में संलग्न नहीं पाया गया।

04. बिहार सरकार वाणिज्य कर विभाग के ज्ञापांक 805 दिनांक 11.03.2013 के अनुसार विभागीय कार्य में प्रयुक्त सामग्रियो का क्रय निबंधित आपूर्तिकर्ताओ से ही की जानी है लेकिन इस कार्य में सभी आपूर्ति अवैध आपूर्तिकर्ताओ से किया गया क्योंकि किसी भी अभिश्रव में **Vat Number, Regd No.** नहीं थे।
जवाब में बताया गया कि संबंधित योजना की जांच की जायेगी। जॉचोपरान्त संबंधित अभिकर्ता/तकनीकी पदाधिकारी से पृच्छा की जायेगी तत्पश्चात जबाव के आलोक में सूचना महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध करा दी जायेगी। कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाय।

कंडिका –4 ट्रैक्टर खरीद में अनियमित भुगतान रू 7.47 लाख

नगर पंचायत अमरपुर के लेखा परीक्षा में पाया गया कि **ट्रैक्टर खरीद की संचिका के नो**टशीट के अवलोकन **में** पाया गया कि दिनांक 26.02.15 को जिला पदाधिकारी बांका की अध्यक्षता में जिलानवाचार निधि की बैठक में नगर पंचायत अमरपुर के प्रस्ताव में **ट्रैक्टर** (ट्रॉली सहित) सामग्री का क्रय नगर पंचायत अमरपुर के स्तर पर की जाने के आलोक में नगर पंचायत अमरपुर द्वारा निकालें गये निविदा सं0 02/15–16 में दो निविदादाताओं द्वारा निविदा डाला **गया था**। जिसमें संगम इंजीनियरींग वर्क्स बेला मुजफ्फरपुर एवं मेसर्स जयगुरू ऑटोमोबाइल बांका का कोटेशन प्राप्त हुआ था। तुलनात्मक विवरणी में न्यूनतम रहने के फलस्वरूप मेसर्स जयगुरू ऑटोमोबाइल बांका को **ट्रैक्टर** (ट्रॉली सहित) उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गइ थी। भुगतान से संबंधित विवरण निम्नवत है।

क्रम सं0	मद का नाम	थ्दनांक	चेक सं0	राशि
01	सफाई	02.11.17	348395	747133

अंकेक्षण टिपपणी–

01 नगर पंचायत अमरपुर द्वारा निकाले गये निविदा का साक्ष्य संचिका में संलग्न नहीं है। मेसर्स जयगुरू ऑटोमोबाइल बांका का चयन किस आधार पर किया गया लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया।

02. नगर पंचायत अमरपुर में वितीय वर्ष 2014–15 से ही सफाई का सभी कार्य आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जा रहा है। खरीदे गये **ट्रैक्टर** (ट्रॉली सहित) से कौन सा कार्य लिया जा रहा है स्पष्ट करें। **ट्रैक्टर से संबंधित लॉगबुक** अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया।

03. बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 75 के अनुसार नगरपालिका में किसी सामान की खरीद से पहले या किसी खर्च करने से पहले साधारण बोर्ड एवं सशक्त स्थायी समिति से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। अर्थात निर्णय बोर्ड से पास करने के बाद ही समान की खरीदारी की

जानी चाहिए। ट्रैक्टर खरीद से पहले साधारण बोर्ड एवं सशक्त स्थायी समिति से अनुमति प्राप्त नहीं करने के कारणों से लेखा परीक्षा को अवगत कराने को कहा गया।

04. बिहार वित्त नियमावली के नियम 131 (I) के अनुसार 25 लाख तक के सामानों की खरीदारी के लिए **Limited tender Enquiry** प्रकिया को अपनाना चाहिए जिसके तहत जिस सामान की आवश्यकता है उसके रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्त्ता को कार्यालय के द्वारा स्वयं रजिस्टर्ड पत्र द्वारा संपर्क साधा जा सकता है या दैनिक सामाचार पत्र जो ज्यादा प्रचलन मे हो उसमें निविदा निकाला जा सकता है या **web based wide publicity** की जानी चाहिए।

05. यांत्रिक अभियंता द्वारा भौतिक सत्यापन का प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करने को कहा गया।

06. ट्रैक्टर की विशिष्टियॉ एवं गुणवत्ता से संबंधित जॉच प्रतिवेदन/प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करने को कहा गया।

जवाब में बताया गया कि समाचार पत्र में कोटेशन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन कराया गया है। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि कोटेशन हेतु विज्ञापन का साक्ष्य लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।

<u>कंडिका –5</u> कर संग्राहक के मानदेय में अनधिकृत भुगतान रू 3.20 लाख

नगर पंचायत अमरपुर बांका कार्यालय के स्वीकृत एवं कार्यरत बल के उपलब्ध कराये गये विवरणी के जांच में पाया गया कि इस नगर पंचायत के अंतर्गत अवस्थित आवास, दूकान इत्यादि के होल्डिंग टैक्स वसूली हेतु एक पद स्वीकृत है आगे जॉच के दौरान पाया गया कि एक स्वीकृत बल के विरूद्ध दो कर्मचारी टैक्स वसूली हेतु संविदा पर नियुक्त किया गया। नगर पंचायत की बैठक सं0 09 दिनांक– 16.9.08 द्वारा श्री सोहन कुमार को टैक्स वसूली हेतू 4 प्रतिशत वसूली राशि पर रखा गया। जबकि बैठक सं0 01/06 दिनांक 06.02.2006 द्वारा श्री राजीव पाठक को प्रत्येक माह 1850 रू मानदेय पर टैक्स वसूली हेतु नियुक्त किया गया था। श्री राजीव पाठक टैक्स वसूली का कार्य संपादित नहीं कर रहे हैं। टैक्स वसूली का कार्य सिर्फ श्री सोहन कुमार द्वारा ही किया जा रहा है ऐसे स्थिति मे श्री राजीव पाठक कर संग्राहक को वितीय वर्ष 2016–17 से 2017–18 (नवम्बर 2018) के अवधि तक कुल राशि रू. 3.20 लाख का भुगतान अनधिकृत भुगतान माना जायेगा।

लेखा परीक्षा को यह अवगत कराने को कहा गया कि किस समय से श्री राजीव पाठक कर संग्राहक का कार्य नहीं कर रहें है एवं किस आदेश से कर संगहण का कार्य नहीं कर रहे है। इस कर संग्रहण कार्य को छोड़कर किस कार्य के लिए इन्हें प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। इसके औचित्य को स्पष्ट करने को कहा गया। साथ ही एक संग्राहक के विरूद्ध दो कर संग्राहक की नियुक्ति किस आधार पर की गई। जवाब में बताया गया कि श्री राजीव पाठक, कर संग्राहक की नियुक्ति नगर पंचायत अमरपुर के बोर्ड की बैठक दिनांक 06.02.2006 को कर संग्राहक के रूप में मानदेय पर किया गया है। उस समय 4 प्रतिशत पर वसूली का प्रावधान नहीं था। जबकि श्री सोहन कुमार दास को टैक्स वसूली हेतु 04 प्रतिशत के

प्रावधान पर रखा गया है। कार्यालय में कर्मियों के कमी के कारण कार्यालय के कार्य हेतु नियुक्ति के समय से हीं श्री पाठक से कार्यालय का कार्य लिया जा रहा है।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि नगर पंचायत अमरपुर द्वारा कर संग्राहक का एक ही पद स्वीकृत है। एक स्वीकृत पद के विरूद्ध एक और कर संग्राहक के नियुक्ति के औचित्य लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

कंडिका –06 समरसेबुल पम्प अधिष्ठापन में अनियमितता रू 7.40 लाख

नगर पंचायत कार्यालय द्वारा प्रस्तुत 13वीं वित्त आयोग की संचिका में पाया गया कि दिनांक 08.04.17 को नगर पंचायत अमरपुर के बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया कि 13वीं वित्त आयोग में उपलब्ध राशि से पेयजल की समस्या को देखते हुए समरसेबुल पम्प लगाने का निर्णय लिया गया। योजनाओं की विवरणी निम्नवत है–

योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	मापी पुस्त	अभिकर्ता को भुगतान	कटौतियॉ	अभिकर्ता का नाम
वार्ड सं0 07 में समरसेबुल पम्प का अधिष्ठापन कार्य	130500	86820	80000	Vat-4341 L.-868	श्री ओम प्रकाश मंडल
वार्ड सं0 01 में मस्जिद के पास समरसेबुल पम्प का अधिष्ठापन कार्य	130500	87026	79800	Vat-4351 L.-870	–"–
वार्ड सं0 02 में समरसेबुल पम्प का अधिष्ठापन कार्य	130500	86976	80000	Vat-4349 L.-870	–"–
वार्ड सं0 08 में समरसेबुल पम्प का अधिष्ठापन कार्य	130500	116796	107400	Vat-5840 L.-1168	–"–
वार्ड सं0 05 में समरसेबुल पम्प का अधिष्ठापन कार्य	130500	99212	91200	Vat-4961 L.-992	–"–
वार्ड सं0 02 में गुदडी हाट समरसेबुल पम्प का अधिष्ठापन कार्य	130500	87026	80000	Vat-4351 L.-870	–"–
वार्ड सं0 03 में यादव टोला में समरसेबुल पम्प का अधिष्ठापन कार्य	130500	86976	80000	Vat-4349 L.-870	–"–
वार्ड सं0 02 में चक्रवर्ती टोला के पास समरसेबुल पम्प का अधिष्ठापन कार्य	130500	89812	82500	Vat-4491 L.-858	
	1044000	740644	680900	Vat-37033 L.-7366	

अंकेक्षण टिप्पणी–

1. नगर निगम वोर्ड/सशक्त स्थायी समिति से योजनाओं को पारित कराया गया था इसका साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करने को कहा गया।
2. कार्यादेश में कही भी कार्य में व्यवहार में लाई जाने वाली सामग्रियों को उपयोग से पूर्व किसी स्वतंत्र एजेंसी/गुणवत्ता जॉच प्रयोगशाला में जॉच किये जाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इस प्रकार कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का किसी स्तर पर गुणवता जॉच नही किया गया

जिससे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि कार्य में व्यवहृत सामग्री गुणवतापूर्ण है।यह प्राक्कलन किस अनुसूचित दर पर बनाया गया था। लेखापरीक्षा को स्पष्ट करने को कहा गया।

3. संचिका में लगाए गये अभिश्रव में मोटर किस कंपनी एवं मॉडल का है जिक्र नहीं किया गया है। समरसेबुल पम्प का वारंटी कार्ड भी संचिका में संलग्न नही पाया गया। इस संबंध में लेखा परीक्षा को स्थिति स्पष्ट नहीं किया गया।
4. बिहार सरकार की विभागीय अधिसूचना सं0 873 दिनांक 6 मई 1977 एवं 1956 दिनांक 10 जुन 1980 के अनुसार आपातकालीन पस्थितियों यथा वाढ़ भुकम्प, इत्यादि को छोड़कर हस्त रसीद पर भुगतान नही किया जाना है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि योजना में पंप के वोरिंग की खुदाई एवं पंप अधिष्ठापन के लिए श्रम घटक का भुगतान Hand Receipt पर किया गया था। श्रम घटक का भुगतान मास्टर रॉल पर नही करके Hand Receipt पर किया गया था।
5. बिहार वितीय नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत निविदा के माध्यम से प्रतिस्पर्धी दर प्राप्त करते हुए Standard make के पंप, संयत्री एवं पाइप की केन्द्रीयकृत खरीदगी क्यों नही किया गया था। लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया।
6. बिहार सरकार वाणिज्य कर विभाग के ज्ञापांक 805 दिनांक 11.03.2013 के अनुसार विभागीय कार्य में प्रयुक्त सामग्रियो का क्रय निबंधित आपूर्तिकर्ताओं से ही की जानी है लेकिन इस कार्य में सभी आपूर्ति अवैध आपूर्तिकर्ताओ से किया गया क्योंकि किसी भी अभिश्रव में **Vat Number, Regd No.** नहीं थे।

   जवाब में बताया गया कि संबंधित संवेदक एवं जिम्मेवार व्यक्ति से कारण पृच्छा की जायेगी। जवाब के आलोक में सूचना महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध करा दी जायेगी। अपने जवाब से कार्यालय को शीघ्र अवगत कराया जाय।

कंडिका –7 वसूली गई राशि कोषागार/बैंक में जमा नहीं रू0 18073

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम 22(1) के अनुसार नगरपालिका का कोई भी अधिकृत सदस्य कर्मचारी, अधिकारी को प्रदत्त अधिकारों द्वारा किसी प्रकार की राशियों को नगरपालिका के कोषागार खाता या राष्ट्रियकृत बैंक खाता में उसी दिन या उसके दूसरे कार्य दिवस के दोपहर तक अवश्य जमा की जानी चाहिए। उक्त नियमावली के नियम 27(2) के अनुसार प्रत्येक संग्राहक अपने सारे संग्रहण राशि दैनिक रूप से 4.30 अपराह्न के पहले कैशियर के पास जमा करेंगे। जमा करने से पहले सारे संग्रहण बही तथा रसीद पुस्तिका का सत्यापन राजस्व निरीक्षक/राजस्व अधिकारी या नगरपालिका द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा ही कराया जाना आवश्यक है। सत्यापन के बाद वे सारे संग्रहण कैशियर के पास जमा करके संग्रहण बही में जमा की पावती की जायेगी।

लेकिन, नगर पंचायत, अमरपुर के एच रसीद, दैनिक संग्रह पंजी, रोकड़पाल रोकड़बही एवं बैंक पास बुक के मिलान क्रम में पाया गया कि कर संग्राहक द्वारा वसूली गयी राशि को बैंक में कम जमा/नहीं जमा किया गया था। विवरणी निम्न है:–

क्रमांक	रसीद संख्या	दिनांक	वसूल की गयी राशि	जमा कि गयी राशि	कम/नहीं जमा	कर संग्राहक का नाम
1	7101 से 7200	25.07.16	114846	100855	13991	सोहन कुमार दास
2	7317 से 7377	26.09.16	94254	91900	2354	सोहन कुमार दास
3	7068	24.06.16	9648	7920	1728	
			218748	200675	18073	

उक्त राशि रू 18073 एच रसीद से वसूल किया गया है जबकि बैंक/कोषागार में जमा नहीं कराया गया।

जवाब दिया गया कि वसूल की गयी राशि जमा करा दी गयी है। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

कंडिका –08 बकाया मोबाईल टावर शुल्क रू 4.84 लाख

बिहार मोबाईल मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली, 2012 के नियम 6(1) के अनुसार नगर पंचायत के अंतर्गत मोबाईल टावर का पंजीकरण शुल्क रू. 30,000 प्रति टावर तथा वार्षिक नवीकरण फीस रू. 8000/– प्रतिवर्ष प्रति टावर निर्धारित किया गया है। नियम 6(2) के अनुसार इस नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित टावर को उपर वर्णित पंजीकरण फीस जमा करना होगा तथा नवीकरण फीस टावर स्थापित करने के समय से पूर्व वर्षो की संख्या के आधार पर लिया जाएगा। नियम 6(3) के अनुसार नवीकरण शुल्क में प्रत्येक 5 वर्षो बाद 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। नियम 6(4) के अनुसार टावर पर लगाये गए प्रत्यक अतिरिक्त एंटिना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण फीस तथा नवीकरण फीस अतिरिक्त रूप से लगाया जायेगा। नियम 6(5 एवं 6) के अनुसार पंजीकरण शुल्क एकमुश्त आवेदन की स्वीकृति के तुरन्त बाद भुगतान किया जाएगा। अगर पंजीकरण के 30 दिनों के भीतर भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज उपार्जित तथा देय होगा। नियम 6(7) के अनुसार वार्षिक नवीकरण फीस प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को देय होगा। प्रतिमाह की दर से ब्याज उपार्जित तथा देय होगा।

नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गए विवरणी के अनुसार नगर पंचायत के अंतर्गत कुल 08 टावरों पर दिनांक 31.03.18 तक कुल रू. 484000 शुल्क के रूप में बकाया थे।

लेखा परीक्षा टिप्पणी–

(i) मांग पंजी एवं वसूली पंजी संधारित नहीं है। इस वजह से वर्ष 17–18 वसूल की राशि की गणना नहीं की जा सकी।

(ii) वर्ष 17–18 में किस मोबाइल टावर से कितनी राशि वसूल की गई इसका विवरण उपलब्ध कराने को कहा गया।

(iii) प्रस्तुत अभिलेख में मोबाईल कम्पनी टावर या एंटिना की मेगावाट क्षमता का उल्लेख नहीं पाया गया। मांग पंजी अथवा अभिलेख में किसी भी टावर पर अतिरिक्त लगाये गये एंटिना की संख्या एवं उससे संबंधित नवीकरण एवं पंजीकरण शुल्क की गणना दर्ज नहीं हैं।

(iv) मोबाईल टावर से संबंधित सर्वे प्रतिवेदन लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करने को कहा गया।

(v) बकाया शुल्क की कुल राशि रू 484000 वसूल नहीं किये जानें के कारणों से लेखा परीक्षा को अवगत कराने को कहा गया।

जबाव में बताया गया कि .मोबाईल टावर शुल्क/बकाया शुल्क की वसूली हेतु संबंधित कंपनी को नोटिस निर्गत किया गया है।.मांग वसूली पंजी का संधारण किया जाएगा। कृत कार्रवाई एवं इसके परिणाम से अवगत कराया जाय।

कंडिका –09 सभी के लिए आवास (षहरी) योजना में राशि रू 117 लाख के व्यय के उपरांत भी आवास अपूर्ण

सबके लिए आवास (शहरी) योजना के अंतर्गत नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पत्रांक 386 दिनांक 26.02.16 द्वारा सभी नगर आयुक्तों को शहरी क्षेत्रों के आवास विहीन परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था से संबंधित निर्देश जारी किया गया, जिसके अनुसार लाभार्थी आधारित घटक के अन्तर्गत बनाये जाने वाले घरों में 2 वेडरूम, टायलेट, किचेन अनिवार्य होंगे। मकान का क्षेत्रफल 30 वर्गमीटर से कम नही होना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक लाभुक को 2 लाख सहायता अनुदान राशि प्रदान की जायेगी। शेष व्यय भार लाभुक स्वयं वहन करेंगे।

लाभार्थी को गृह निर्माण हेतु राशि तीन किस्तों में दी जायेगी। लाभार्थी को अपने संसाधन से मकान का नींव की खुदाई करने के बाद प्रथम किस्त राशि रू 50000 भुगतान किया जायेगा जिससे लाभुक पिलिंथ स्तर तक कार्य पूर्ण करेगा। इसके बाद Geo tagged time stamped फोटोग्राफी संलग्न करके लाभूक को द्वितीय किस्त की राशि रू. 100000 भुगतान किया जायेगा, जिससे लाभार्थी छत स्तर तक कार्य पूर्ण करेगा। छत स्तर तक कार्य पूर्ण होने के बाद Geo tagged time stamped फोटोग्राफी संलग्न करके तृतीय किस्त की राशि रू. 50000 भुगतान किया जायेगा। दो महीने के अंदर अनिवार्य रूप से प्लास्टर फलोरिंग एवं लकड़ी का कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। सामान्यतः कार्यादेश निर्गत होने की तिथि से 6 माह के अंदर घर का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।

लाभुक के चयन के उपरान्त उनका अलग– अलग अभिलेख संधारित करना था। अभिलेख में प्राप्त फोटोयुक्त आवेदन पत्र, क्षेत्र भ्रमण प्रतिवेदन जमीन का स्वमीत्व संबंधित कागजात, पहचान पत्र, बैंक खाता विवरण अन्य आवश्यक वांछित कागजात को संधारित करना था साथ ही कार्य की प्रगति एवं MIS पर प्रवृष्टि के आधार पर किस्तो की विमुक्ति किया जायेगा। नगर निकाय में कार्यरत कनीय अभियंता द्वारा आवास निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण किया जायेगा।

नगर पंचायत अमरपुर के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अ्रवासों की संख्या 149 थी। रोकड़ बही के अनुसार मार्च 2018 तक आवंटन विवरण निम्न प्रकार हैः–

क0सं0	आवंटन पत्रांक सं0/दिनांक	रोकड़ बही में दर्ज राशि	राशि
01	नगर विकास एवं आवास विभाग पत्रांक सं0 36 दिनांक 15.07.16	31.08.16	11275000
02	अंकित नहीं	31.12.16	484000
03	नगर विकास एवं आवास विभाग पत्रांक सं0 992 दिनांक 24.04.17	10.07.17	161000
		कुल	11920000

नगर निकाय को आवंटन कुल राशि रू 11920000 प्राप्त हुआ था। जिसको चयनित लाभुको को 31.03.18 तक निम्न प्रकार भुगतान किया गया।

No of beneficiaries sanctioned by Govt. of India	No of beneficiaries found eligible after survey by MMC	No of beneficiaries given 1st installment	No of beneficiaries given 2nd installment	No of beneficiaries given 3rd installment	Total Exp.
149	109	92 x 50000= 4600000	71 x 100000= 7100000	NIL	11700000

लेखापरीक्षा टिप्पणी

1. नगर पंचायत अमरपुर में सबके लिए आवास के अन्तर्गत कुल 92 लाभार्थीयों को प्रथम किस्त की राशि माह सितम्बर–2016 से मई 2017 तक के बीच जारी किया गया था। 71 लाभार्थीयों को दूसरी किस्त की राशि का भुगतान किया गया। 21 लाभुकों को तीसरी किस्त की राशि का भुगतान नही किया गया था। राशि रू 11700000 के भुगतान एवं 2 साल बीत जाने के उपरांत भी कोई भी आवास पूर्ण नहीं हुआ है। कार्यालय स्तर से लाभूको को पूर्ण निर्माण करने के लिए किये गये कारवाई से लेखापरीक्षा को अवगत कराने को कहा गया।

जबाव में बताया गया कि सबके लिए आवास योजना में लक्ष्य के विरूद्ध विभागीय निदेशानुसार लाभान्वितों को कार्यादेश निर्गत किया गया था। आवंटन के विरूद्ध सभी लाभान्वितों को राशि समाप्त हो जाने के कारण राशि उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। आवंटन हेतु विभाग को पत्राचार किया गया है। आवंटन प्राप्त होते ही राशि लाभुकों को उपलब्ध करा दी जायेगी।

जबाव के आलोक में कार्रवाई कर लेखा परीक्षा को सूचित किया जाय।

<u>कंडिका –10</u> ससमय भुगतान नहीं किये जाने के कारण विद्युत विपत्र पर विलम्ब अधिभार पर व्यय (रू 5.57 लाख)

In accordance with section 56 of the Electriaty act. 2003 "if a consumer does not pay energy bills in full within 10 days grace period after due date specified in the bill, a delayed payment surcharge (DPS) of one and half (1.5) percent per month or part there of on the outstanding principal amount of bill will he levied from the due date for payment, until the payment is made in full without prejudice to right of the licensee to disconnect the supply" इस बकाया विलम्ब अधिभार को ससमय बिजली बिल का भुगतान कर टाला जा सकता है।साथ ही मुख्य सचिव , बिहार सरकार के पत्रांक 6594 दिनांक 26.6.13 के द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि आवंटन उपलब्ध रहने के बावजूद विद्युत विपत्र का समय पर भुगतान नहीं होने के चलते डी0पी0एस0 का भुगतान किया जाना कार्यालय प्रधानों की जवाबदेही होगी एवं इसके लिये संबंधित कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेवार होगें।

नगर पंचायत अमरपुर(बॉका) के विद्युत विपत्र भुगतान संबंधित संचिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 मे विलंब अधिभार रू 557127 लगाया गया। जबकि रोकडबही के अनुसार

संबंधित अवधियों मे आंतरिक संसाधन (मुद्रांक शुल्क) मद एवं पंचम राज्य वित्त मद में विद्युत विपत्र भुगतान हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध थी। इस प्रकार संबंधित नगर पंचायत अमरपुर (बॉका) के संबंधित कर्मचारियों/अधिकारियों के द्वारा विद्युत विपत्र के ससमय भुगतान नहीं किये जाने के कारण रू 557127 का अतिरिक्त भुगतान करना पडा।

इस संबंध में लेखापरीक्षित इकाई से मंतव्य मांगा गया।

इस संबंध में कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया की समायोजन कर अद्यतन माह का भुगतान कर दिया गया है। समय से विद्युत विपत्र अप्राप्त के फलस्वरूप अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ा। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि विद्युत विपत्र समय पर प्राप्त होने एवं राशि उपलब्ध होने के बावजूद समय पर भुगतान नहीं करने के कारण अतिरिक्त राशि की भुगतान किया गया।

कंडिका –11 डोर–टू–डोर कचरा संग्रह हेतु उपभोक्ता शुल्क की वसूली नहीं राशि रू. 48.00 लाख

बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 128 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नगरपालिका को उपभोक्ता शुल्क की उगाही करने का प्रावधान किया गया है जबकि धारा 228 में गलियों में किसी ठोस अपशिष्ट को ढेर लगाने या फेंकने के कारण दंड का भी प्रावधान किया गया है। उक्त प्रावधान के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना सं0– 3/UIG रिफार्म्स 10/2012–1251 दिनांक 12.07.2013 के द्वारा नगरपालिका क्षेत्रों में ठोस अवशिष्ट प्रबंधन हेतु उपभोक्ता शुल्क निर्धारित किया गया है। उपभोक्ता शुल्क की वसूली हेतु उपभोक्ता की श्रेणी को चार कोटि – (क) आवासीय (ख) गैर आवासीय (ग) स्वास्थ्य सेवा संस्थान (केवल गैर बायो–मेडिकल वेस्ट) एवं (घ) अन्य में बांटी गयी है। इनके लिए उपभोक्ता शुल्क की दरें अलग– अलग निर्धारित की गयी है। उक्त प्रावधान के आलोक में नगरपालिका क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपभोक्ता शुल्क निर्धारित किया गया है, जो निम्न प्रकार है–

क्रम सं0	उपभोक्ता की श्रेणी	न्यूनतम मासिक शुल्क रूपये में
क	आवासीय	
I	आवासीय घर	30
II	मलिन एवं गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी के आवास	शून्य
ख	गैर आवासीय	
I	फूटपाथी दुकान	शून्य
II	दुकान, खानपान के स्थान...ढावा/मिठाई की दुकान/काफी हाउस इत्यादि	100
III	रेस्टूरेंट, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, हॉस्टल	500
IV	सितारा होटल या उसके समतुल्य होटल	500
V	व्यवसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक ,बीमा कार्यालय, कोचिंग क्लासेस, शैक्षणिक संस्थान	500
ग	स्वास्थ्य सेवा संस्थान, ...केवल गैर बायो मेडिकल वेस्ट	
I	क्लीनिक, डिस्पेंषरी, लेबोरेटरीज	250
II	अस्पताल ... 50 शय्या तक	1500
III	अस्पताल ... 50 शय्या से अधिक	3000
घ	अन्य	

I	धार्मिक स्थल	शून्य
		आकलन के अनुसार
II	निगम क्षेत्र में स्थित लघु और कुटीर उद्योग, वर्कशॉप ... केवल गैर खतरनाक अवषिष्ट 10 कि.ग्रा. प्रतिदिन	500
III	गेदाम, कोल्ड स्टोरेज...केवल गैर खतरनाक अवशिष्ट	1000
IV	शादी हॉल, उत्सव हॉल प्रदर्शनी एवं मेला	2500
V	अन्य, जो उपर चिन्हित नहीं है	नगरपालिका के आकलन के अनुसार

इसके अतिरिक्त उक्त अधिसूचना में सड़क के किनारे अवशिष्ट/कचरा जमा करने पर निम्नलिखित दर से जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है–

1. आवासीय मकानों से रू0 100/– प्रति घटना

2. भवन निर्माण सामग्री/मलवा सड़क किनारे रखने पर – रू0 1000/– प्रति घटना एवं मलवा हटाने का वास्तविक व्यय

3. जुर्माना जमा नहीं करने पर 15 प्रतिषत की दर से अतिरिक्त ब्याज वसूलनीय होगा।

4. सभी प्रभार/शुल्क/दण्ड सम्पत्ति कर के बकाया के रूप में वसूलनीय होगा।

लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराए गए सूचनानुसार 2016–17 से नगर पंचायत, अमरपुर द्वारा सभी वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा उठाव की सुविधा प्रदान की जा रही थी जिसमें विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या निम्न प्रकार से है–

	उपभोक्ता की श्रेणी	**सं0**	**वितीय वर्ष 2016. 17 एवं 2017–18 मे वसूलनीय राषिं**	**कुल राषि**
क	आवासीय घर	4848	4848x24x30	3490560
ख	गैर आवासीय			
1	दूकान, खानपान के स्थान (ढ़ाबा/मिठाई की दूकान/कॉफी हाउस)	83	83x24x100	199200
2	रेस्टूरेन्ट, गेस्ट हाउस, धर्मषाला, होस्टल			
3	सितारा होटल या उसके समतुल्य होटल	...		
4	व्यावसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय, कोचिंग क्लासेस, शैक्षणिक संस्थान	86	86x24x500	1032000
ग	स्वास्थ्य सेवा संस्थान (गैर बायो मेडिकल वेस्ट)			0
1	क्लिनिक, डिस्पेंसरीज, लेबोरेटरीज	13	13x24x250	78000
2	अस्पताल (50 शैय्या तक)			
3	अस्पताल (50 शैय्या से अधिक)			
घ	अन्य			
1	निगम क्षेत्र में स्थित लघु एवं कुटीर उद्योग, वर्कशॉप (केवल गैर खतरनाक) अवशिष्ठ 10 कि0 ग्रा0 प्रति दिन			
2	गोदाम, कोल्ड स्टोरेज (केवल गैर खतरनाक अवषिष्ट)			
3	शादी हॉल, उत्सव हॉल, प्रदर्शनी एवं मेला			
				4799760

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 128 में किए गए प्रावधान एवं नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0–3/UIG रिफार्म्स 10/2012–1251 दिनांक 12.07.2013 के आलोक में उपभोक्ता शुल्क की वसूली नगर निगम के द्वारा नहीं लिए जाने से राशि रू 4799760 की प्राप्ति नहीं हो सकी।

अंकेक्षण टिप्पणी–

1. नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के दिशा–निर्देश के अनुपालन में नगर निगम द्वारा उपभोक्ता शुल्क की राशि रू 4799760 की वसूली नहीं किये जाने का कारण बताने को कहा गया।
2. सड़क के किनारे अवशिष्ट/कचरा जमा करने पर राज्य सरकार की अधिसूचना के आलोक में पंचायत द्वारा कितना राशि जुर्माना वसूल किया गया है। वसूल की गयी राशि से अंकेक्षण को अवगत कराने को कहा गया।

जबाव में बताया गया कि भविष्य में डोर–टू–डोर कचड़ा संग्रहण हेतु उपभोक्त शुल्क की वसूली की जाएगी। कृत कार्रवाई से अवगत कराया जाय।

कंडिका –12 अपूर्ण शौचालयों पर अलाभकारी व्यय–रू0 22.05 लाख

नगर विकास एवं आवास विभाग (न.वि. एवं आ.वि.), बिहार सरकार के संकल्प संख्या–2614, दिनांक–29.05.2015 द्वारा केन्द्र प्रायोजित **'स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय)'** योजना राज्य के सभी शहरी निकायों में लागू किया गया। न.वि. एवं आ.वि. द्वारा इस योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण हेतु राशि के वितरण के संबंध में निर्गत दिशानिर्देशों (दिनांक–19.08.2015) के अनुसार, योजना के लाभार्थी द्वारा नींव की खुदाई किए जाने पर नगर निकाय द्वारा प्रथम किस्त अग्रिम के रूप में रू0 7,500.00 का भुगतान लाभार्थी के बैंक खाते में RTGS के माध्यम से किया जाएगा। लाभार्थी के द्वारा इस राशि से 45 दिनों में शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण किए जाने पर द्वितीय एवं अंतिम किस्त की राशि रू0 4,500.00 का भुगतान किया जाएगा। उपरोक्त मार्गदर्शिका के अनुसार जिन लाभार्थियों द्वारा राशि का उपयोग शौचालय निर्माण में नहीं किया जाएगा उनके विरूद्ध वसूली की कार्रवाई एवं कानूनी कार्रवाई करने की जिम्मेवारी कार्यपालक पदाधिकारी की होगी।

नगर पंचायत अमरपुर द्वारा कार्यान्वित कराई जा रही उपरोक्त योजना से संबंधित अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा इस योजना में वितीय वर्ष 2016–17 से 2017–18 के दौरान 1218 लाभार्थियों को प्रथम किस्त के रूप में कुल रू0 9135000 राशि (रू0 7,500.00 प्रति लाभार्थी की दर से) का भुगतान आर.टी.जी.एस. के माध्यम से किया गया था। परंतु, इन 1218 लाभार्थियों में से केवल 924 लाभार्थियों को ही द्वितीय एवं अंतिम किस्त की राशि रू0 4,500.00 प्रति लाभार्थी की दर से भुगतान किया गया था। शेष 294 (1218–924) लाभार्थियों द्वारा प्रथम किस्त प्राप्त करने के दो वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी द्वितीय किस्त की राशि प्राप्त नहीं की गई थी जबकि 45 दिनों के अंदर ही शौचालय निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया जाना था। स्पष्टतः प्रथम किस्त प्राप्त करने के पश्चात् लाभुकों द्वारा शौचालय निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं किया गया था। इससे शौचालय निर्माण हेतु ली गई राशि के अन्य उद्देश्यों पर उपयोग कर लिए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, लाभुकों

द्वारा द्वितीय किस्त नहीं लिए जाने के कारण 294 शौचालयों का निर्माण कार्य अपूर्ण रहा जिससे शौचालय विहीन परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय निर्माण उपलब्ध कराने का योजना का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका तथा उक्त अपूर्ण आवासों पर कुल रू0 2205000.00 राशि (294 X 7,500.00) का किया गया व्यय अलाभकारी रहा।

जवाब में बताया गया कि अपूर्ण व्यक्तिगत शौचालय के तहत लाभुकों को योजना पूर्ण हेतु नोटिस निर्गत किया जायेगा। कृत कार्रवाई के परिणाम से अवगत कराया जाय।

कंडिका –13 असमायोजित अग्रिम रू. 3.17 लाख

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 के नियम 40 एवं नियम 107 के अनुसार प्रथम अग्रिम के समायोजन के बिना द्वितीय अग्रिम नहीं दिया जा सकता है तथा दिया हुआ अग्रिम व्यय नहीं माना जायेगा एवं असमायोजन की स्थिति में वसूलनीय होगा। साथ ही, अग्रिमों का तिथिवार समायोजन करते हुए मासिक अंतशेष दिखाया जायेगा तथा अग्रिम पंजी में इस प्रकार दिखाये गये समायोजन आदि को सक्षम अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जायेगा।

कार्यालय नगर पंचायत अमरपुर वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के लेखापरीक्षा क्रम में अग्रिम पंजी की मांग की गयी। कार्यालय द्वारा प्रस्तुत अग्रिम पंजी एवं अग्रिम से संबंधित प्रस्तुत विवरणी के अवलोकन में पाया गया कि दिनांक 31.03.2018 तक कार्यालय कर्मियों एवं अन्य पर कुल रू. 317166 असमायोजित था।

अंकेक्षण टिप्पणी–

अग्रिम समायोजन हेतु कृत कार्यवाई से लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाय। जबाव में बताया गया कि बकाया अग्रिम की वसूली हेतु संबंधित व्यक्ति को नोटिस निर्गत किया गया है। कृत कार्रवाई के परिणाम से अवगत कराया जाय।

कंडिका –14 विद्यालयों में रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं किया जाना एवं अनुश्रवण नहीं किया जाना

बिहार पंचायत शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्ते नियामावली 2012 के अन्तर्गत राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई एवं प्रकिया किया जाना था। मेधा सूची तैयार की जाएगी। अंतिम रूप से प्रकाशित मेधा सूची के आधार पर आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए नियोजन पत्र निबंधित डाक द्वारा भेजा जाएगा। नियोजन के पश्चात् 15 दिनों के अंदर सभी प्रमाण पत्रों की जांच प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। शिक्षक नियोजन का अनुश्रवण प्रत्येक स्तर से किया जाएगा तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में नियोजन की सूचना विभाग को उपलब्ध कराएगी ।

नगर पंचायत, अमरपुर बांका द्वारा प्राथमिक शिक्षक (1 से 5) नियोजन संबंधित द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरणी एवं अभिलेखो के जॉच में पाया गया कि वर्ष 2012 में 23 स्वीकृत रिक्तियों के विरूद्ध 358 आवेदन प्राप्त किया गया था जिसमें सभी अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार कर 18 अभ्यर्थियों का चयन किया गया एवं 18 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। 06 अभ्यर्थी ने अपने स्कूल में योगदान

दिया। शेष 12 अभ्यर्थी ने योगदान नहीं दिया। इस प्रकार प्रथम चरण में मात्र 06 अभ्यर्थी नियुक्त किये गये। आगे दूसरे से छठे चरण तक प्रारंभ में प्राप्त आवेदनों (358) से नियुक्ति की प्रकिया पूरी कि गई फिर भी अंतिम चरण तक(छठे) चरण तक सात रिक्तियां शेष रह गयी। इसी प्रकार उर्दू के लिए वर्ष 2012 में 19 पद स्वीकृत थे। इसके विरूद्ध 09 आवेदन प्राप्त हुआ था। मेधा सूची तैयार करने के उपरांत 06 अभ्यर्थियों का चयन किया गया एवं नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। तीन ने योगदान दिया। तीन ने योगदान नहीं दिया। इस प्रकार प्रथम चरण के उपरांत 16 रिक्तियां शेष रह गयी। दूसरे चरण में 02 अभ्यर्थी का चयन किया गया और नियुक्ति पत्र दिया गया। लेकिन किसी भी अभ्यर्थी ने योगदान नहीं दिया। वर्ष 2014 के प्रथम चरण में 17 स्वीकृत पदो के विरूद्ध 371 आवेदन प्राप्त हुआ। तैयार मेधा सूची के आधार पर 15 अभ्यर्थी का चयन किया गया एवं उसे नियुक्ति पत्र दिया गया। परन्तु मात्र 01 अभ्यर्थी ने योगदान दिया। दूसरे चरण में कैम्प लगाया गया। जिसमें 07 अभ्यर्थी का चयन कर नियुक्ति पत्र दिया गया। सातों अभ्यर्थी ने योगदान दिया। फिर भी 09 रिक्तियां शेष रह गयी।

वर्ष 2014 में 31 रिक्तियां थी इसके विरूद्ध 95 आवेदन प्राप्त किया गया। जिसमें 59 अभ्यर्थियों की सूची बनाई गई। इस मेधा सूची में 13 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया एवं नियुक्ति पत्र दिया गया।जिसमें से 04 ने अपना योगदान दिया इस प्रकार प्रथम चरण के उपरांत 27 रिक्तियॉ शेष रह गयी 2014 को तीसरे एवं अंतिम चरण तक पूर्व में प्राप्त आवेदन से एक अभ्यर्थी नियुक्त किया गया। एक अन्य की नियुक्ति अनुकम्पा के आधार पर दिखाया गया। इस प्रकार 25 रिक्तियॉ शेष रह गयी एवं नियोजन कार्य समाप्त हो गया ।

माध्यमिक शिक्षक (6 से 8) संस्कृत विषय के वर्ष 2012 में 02 रिक्तियॉ पाई गयी इस 02 रिक्तियों के विरूद्ध 09 का मेधा सूची तैयार किया गया इस 09 मेधा सूची में 01 अभ्यर्थी को चूना गया एवं उसे नियोजन पत्र दिया गया।परन्तु उसने योगदान नहीं दिया इस प्रकार 2012 के प्रथम चरण के उपरांत संस्कृत शिक्षकों की बहाली नहीं हुई। 2012 के दूसरे चरण में उपरोक्त मेधा सूची में से एक का चयन किया गया और उसे नियुक्ति पत्र दिया गया। उसनें अपना योगदान दिया। इस प्रकार 2012 के द्वितीय चरण तक एक रिक्ति शेष रह गयी जो 2014 तक रिक्त रहा। क्योंकि एस0सी0 कोटे का कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था चूकि एक पद रोस्टर के अनुसार एस0सी0 के लिए सुरक्षित था। वर्ष 2012 में विज्ञान एवं गणित के लिए 03 पद रिक्त था, जिसके विरूद्ध 53 आवेदन प्राप्त हुआ प्राप्त आवेदन के आधार पर 03 अभ्यर्थी का चयन किया गया एवं तीनों को नियोजन प्रत्र प्रदान किया गया। तीनों अभ्यर्थी नें अपना योगदान भी दिया जिसमें से 02 ने अपना त्याग पत्र दे दिया इस कारण 02 पद रिक्त रह गया। दूसरे चरण में कैम्प के द्वारा एक अभ्यर्थी का चयन किया गया जिसनें अपना योगदान दिया इस प्रकार 2012 में एक पद खाली रहा जिसे 2014 के प्रथम चरण में एक अभ्यर्थी को चूना गया परन्तु वह अभ्यर्थी ने अपना योगदान नहीं दिया। इस प्रकार गणित एवं विज्ञान में 03 पद के विरूद्ध 02 पद पर ही शिक्षक कि नियुक्ति हो पायी । इस प्रकार एक पद रिक्त रहा।

364'A'

परिशिष्ट–1 (कंडिका सं0 – 10 से संबंधित)

नगर पंचायत अमरपुर के वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के चालु माह का विलंब अधिभार (DPS) का विवरण

माह का नाम / उपभोक्ता सं0	23520022161	23520053462	23520053463	23520053464	23520053465	23520053466	23520053590	5764
दिसंबर–17 से जनवरी–18	36538+15502	15502	15502	16124	15502	15502	0	0
अक्टूबर 17 से नवबर 17	21465+78826	14310	21465	133	0	21465	14310	0
जुलाई17से सितंबर17	137441	0	0	0	0	0	0	0
फरवरी17	14529	0	0	0	0	0	0	0
जनवरी 17	11031	0	0	0	0	0	0	0
अगस्त 16	0	0	0	0	0	0	0	47475
जुलाई 16	0	0	0	0	0	0	0	44505
योग	315332	29812	36967	16257	15502	36967	14310	91980
महायोग	557127							

A.K. Singh
AAO

Scanned by CamScanner